

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक ई 33/लै.टे./1440/2018/360 दिनांक 07.06.2018 के क्रम संख्या 6 पर अंकित श्री मुकेश कुमार, लैब टेक्नीशियन के दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पूर्ण होने पर स्थाईकरण आदेश जारी किये गये थे, में आंशिक संशोधन करते हुये श्री मुकेश शर्मा के स्थान पर श्री मुकेश कुमार पढा जावे।



(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- ई-33/लै.टे./एफ-1440/2018/446

दिनांक : 27/07/2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर।
2. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मावली (उदयपुर)।
3. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
4. श्री मुकेश कुमार, लैब टेक्नीशियन को द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
5. आदेश/निजी पत्रावली।



अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राजस्थान, जयपुर